विधान परिषद के तृतीय सत्र, 2023 के प्रथम बुधवार हेतु निर्धारित श्री भीमराव अम्बेडकर, मा० सदस्य, विधान परिषद द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या-10 का उत्तर

प्रश्न	**उत्तर**
10(क) क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बतायेंगे कि उ0प्र0 में मजदूरों को भी पेंशन दी जाती है?	असंगठित क्षेत्र के अन्तर्गत निर्माण श्रमिकों के हितार्थ उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की अधिसूचना संख्या-47-27/भ0नि0बोर्ड-14, दिनांक 03-07-2014 द्वारा ''पेंशन योजना'' अधिसूचित की गयी है, जिसका नाम परिवर्तित करते हुए ''महात्मा गांधी पेंशन योजना'' कर दिया गया है। उक्त योजना में पेंशन की पात्रता हेतु निम्नवत् प्राविधान है :- ''60 वर्ष की आयु पूर्ण करना एवं तत्समय पूर्ववर्ती कम से कम 10 (दस) वर्षों तक लगातार ''लाभार्थी'' के रूप में सदस्य बना रहना।'' योजनान्तर्गत हितलाभ के रूप में रू0 1000/- प्रतिमाह की दर से जो प्रत्येक 02 वर्ष के बाद रू0 50/- की दर से बढ़ाते हुए, अधिकतम रू0 1250/- प्रतिमाह तक का हितलाभ दिये जाने का प्राविधान है। उपर्युक्त के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश में भारत सरकार द्वारा संचालित ''प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना'' के अन्तर्गत निर्धारित अंशदान जमा करते हुए श्रमिक पेंशन योजना के अन्तर्गत 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर रू0 3000/- की मासिक न्यूनतम पेंशन प्राप्त कर सकते है।
(ख) यदि नहीं, तो मजदूरों को ''मजदूर सम्मान निधि'' देने पर विचार करेंगे?	जी नहीं।
(ग) यदि हॉ, तो कब तक ?	प्रश्न नहीं उठता।
(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?	उपरोक्तानुसार।

अनिल राजभर
मंत्री
श्रम एवं सेवायोजन विभाग।